भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1617**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री खाद्य निर्यात

1617. श्री सुदर्शन भगत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषकर वैश्विक महामारी के मद्देनजर समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नई कार्यनीति अपनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हाँ, सरकार ने वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक संगठन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के माध्यम से देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन, विशेषकर वैश्विक महामारी के आलोक में, के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) को वर्चुअल और वास्तविक दोनों मोड में आयोजित करना, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम) और समुद्री खाद्य आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। नए बाजारों में निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, एमपीईडीए ने विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए उत्पाद और देश विशिष्ट प्रोफाइलिंग भी की है। समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एमपीईडीए ने निर्यात सुविधा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और विभिन्न नियामक अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाया है।

इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए ने अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगज़नक़-मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन परियोजना के लिए एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने और झींगा उत्पादन के साथ-साथ इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने की आशा

है। भारतीय समुद्री खाद्य आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने बजट 2023-24 में विभिन्न जलीय कृषि आदानों पर आयात शुल्क को कम करने की भी घोषणा की है जैसे कि मछली लिपिड तेल (एचएस 1504 20) और अल्गल प्राइम (आटा) (एचएस 2102 2000) पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 15% करना और फिशमील (एचएस 2301 20) क्रिल मील (एचएस 2301 20) और खनिज और विटामिन प्रीमिक्सेस (एचएस 2309 90 90) पर 15% से घटाकर 5% करना । निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) दरों को भी विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया गया है और प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाकर 69.00 रुपये कर दिया गया है।

एमपीईडीए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है जैसे मछुआरों के लिए अच्छी हैंडलिंग पद्धतियों, पर हार्बर और प्री-प्रोसेसिंग केन्द्र आधारित प्रशिक्षण फसलपोरान्त हानियों में कमी, आयातक देशों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित आवश्यकताओं, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं (एचएसीसीपी) पर प्रशिक्षण आदि।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत से समुद्री खाद्य निर्यात 2020-21 में 5957.37 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 में 8073.03 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है, जिसमें 35.51% की वृद्धि दर्ज की गई है।

****